

कार्यालय तहसीलदार झाडोल, जिला उदयपुर

क्रमांक : अ.अ./2017


दिनांक 20-07-17

भूमि एवं भवन प्रमाण - पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि आराजी संख्या 837, 838, 1351, 1352, 1353 एवं 1354 पर स्थित भूमि एवं भवन एक ही राजस्व ग्राम ओगणा, पटवार मण्डल ओगणा, तहसील झाडोल में स्थित है तथा गांधी मानव कल्याण सोसायटी के नाम दर्ज है।



PRINCIPAL
Government College, Jhadol
UDAIPUR



तहसीलदार (पु.अ.) झाडोल
हिस्साधारण

केवल नकल के उपयोग के लिए

उपरोक्त (खतौनी) ग्राम मुसोवा पट्टा सं. मुसोवा
 पुरानी मुसोवा पुरानी सं. मुसोवा
 पुरानी सं. मुसोवा पुरानी सं. मुसोवा
 पुरानी सं. मुसोवा पुरानी सं. मुसोवा

खंड (खतौनी) सं.	पुरानी	पू-भाषकों का नाम	कारागार सं- नाम या पितृ का नाम, ज्योति तख्त निवास स्थान के पते सहित एवं पू-पुति का स्थान	संख्या	क्षेत्रफल	पट्टा (पूरी) बांकीकरण	सिंचाई के तरीके	पूरा क्षेत्र		के लिए		के लिए		के लिए		
								एक	दो	अ	ब	अ	ब	अ	ब	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
67	65	1/19- मुसोवा	गोपाली प्रसाद मुसोवा सुप्रिया मुसोवा रामेश मुसोवा	837 838 2	0.09 0.05 0.14	1-1/2 2-1/2		4.63	0.42							
									0.73							

प-36
 2/11/2016
 2/11/16
 पट्टा सं. 2/11/2016
 ए. सुप्रिया (पू), वि. मुसोवा



वेदनांत सामाजीयान भादारी ७५०० रुपया
 सामा न. २५६ २११ व २११ मीमा-३ कि. ५२
 २०० - २९ ३० २१११५५ २५०

-X-

अमेत :- श्री. मरा श्री. अजला श्री. नानुश मयु. ५३३५३ सि० कोठरा
 म० लामोव जि० दिवपुत्र जो परकार संख्या १ वेपुता
 शरी जयराज /


वे पुत्र :- श्रीमती. श्रीमती मन्तव कल्याण सोसायटी पंजीकृत म
 काशीराम गोमता मय कोठरा म० लामोव जि०
 दिवपुत्र जो परकार संख्या २ २५३५३ ५३३ जयराज /

वे पुत्र श्री. वरु वेपुता मय देता कु !

कि. मय. गोमता म० लामोव प० श्री. गोमता
 म० लामोव मय देता म० ५०५ कि. मय देता मय देता
 मय देता मय देता /

(Handwritten signature)

मय देता



GROUND FLOOR PLAN

FIRST FLOOR PLAN

SECOND FLOOR PLAN

COLLEGE BUILDING OF RANA PUNJA COLLEGE
 RUN BY GANDHI MANAV KALYAN SOCIETY AT
 ARAJI NO- 837 & 838, GRAM OGNA, PANCHAYAT
 SAMITI - JHADOL (F.), DISTT - UDAIPUR. (RAJ.)

SCALE - 1"=15'0"



FORM-D

[See rule 10(4)]

Office of Prescribed Authority (S.D.O. Jhadol, Dist. Udaipur)

No. 1/2017/100

Dated 29/5/17

REVISED COVERSION ORDER

On the application of गांधी मानव कल्याण सोसायटी अोगणा, तहसील झाडोल, जिला उदयपुर the agricultural land already Converted for a Non agricultural purpose is here by converted for revised non agricultural purpose under rule 10 (4) of the Rajasthan Land Revenue [Conversion of Agricultural Land for Non-Agricultural in Rural Areas) Rules 2007, the particulars of which are given as under:

S.No.	Particulars	
1	Name / Names of tenant or co-tenants	गांधी मानव कल्याण सोसायटी अोगणा, तहसील झाडोल, जिला उदयपुर
2	Aadhar Number	
3	Bhamashah Number	
4	Father's / Husband's name	
5	Address with mobile number	गांधी अोगणा, तहसील झाडोल, जिला उदयपुर
6	E-mail ID (if any)	
7	Whether the applicant is a member of SC / ST (Yes / No)	नाही
8	Purpose of original conversion indicating the Number and date of order	आवासीय प्रयोजन, तहसीलवार झाडोल, क आदेश क्रमांक 34/82 दिनांक 10.06.1992
9	Revised Purpose of conversion	संस्थागत प्रयोजन
10	Detail of the Land converted:	
	(a) (i) Name of District	उदयपुर
	(ii) Name of the Tehsil	झाडोल
	(iii) Name of the Village	अोगणा
(b) Khaska No. of the land along with area of each Khaska no. (in hectare)	खसरा संख्या 837 रकबा 0.08 हे	
(c) Area converted (in sq mtr.) indicating the area of each khaska no.	खसरा संख्या 837 रकबा 0.08 हे अर्थात 800 वर्ग मीटर	

Note :- A duly verified copy of the relevant part of revenue map showing the land converted for revised non agricultural purpose is enclosed.

11	Rate of conversion charges payable on original conversion	1 / रु. प्रति वर्ग मीटर
12	Amount of premium deposited with original conversion	400 / रु
13	Amount of premium revised conversion, if any, with date & No. of chalan	6394 / रु, खसरा संख्या 0016011472 दिनांक 31.03.2017 मे शामिल



9	क्या आदेश विनियमितकरण के लिए नियम 13 के अधीन जारी किया गया है:	हां
10	अन्य विशेषिया, यदि कोई है	
11	उपरोक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:- (1) उपरोक्त अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा। (2) यदि आवेदक इन नियमों के नियम 14 में विनिर्दिष्ट कालावधि या बढ़ाई गई कालावधि, यदि कोई हो, के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा करायी गयी प्रीमियम धनराशि सम्पत्कृत हो जायेगी। (3) नियम 4 में यथावर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा। (4) लोकोपयोगी प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग विहित प्राधिकारी से विधिमान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। (5) The applicant is allowed to remove ----- trees from the converted land on the condition that he will plant three times of shady or dense trees in lieu of the removed trees with in a year. Failing which he shall be charged Rs 500 per year which is remained unplanted in from of penalty in revenue head.	



विहित प्राधिकारी का मुहर

क्रमांक:- अकृष/अ.क./17/2

प्रतिलिपि:-

- 1 श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, उदयपुर
- 2 तहसीलदार झाडोल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 3 ग्राम पंचायत ओगणा, पंचायत समिति झाडोल
- 4 संस्थापक, मानव कल्याण सोसायटी ओगणा तहसील झाडोल जिला उदयपुर को सूचनार्थ।

विहित प्राधिकारी के हस्ताक्षर

उपरिष्काराधिकारी झाडोल
महोदय, जिला उदयपुर (राज.)
दिनांक 13/6/17

विहित प्राधिकारी के हस्ताक्षर

उपरिष्काराधिकारी झाडोल
जिला उदयपुर
महोदय, जिला उदयपुर (राज.)